फाइल सं. डीजीटी-35/4/1/सचिव (एमएसडीई)/2022

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

तीसरी तल, श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001
दिनांक: 28 मार्च, 2022

सेवा

1. कौशल विकास से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रधान सचिव/सचिव
2. सभी आरडीएसडीई

विषयः राज्य कौशल विकास एवं उद्यमशीलता समिति का गठन (एसएसडीईसी) के संबंध में

महोदय/महोदया

यह देखा गया है कि मंत्रालय के कुछ संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय जो विभिन्न स्कीमों के साथ-साथ कौशल और उद्यमशीलता से संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विंग का कार्य देखते हैं, व्यक्तिगत संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में कौशल इकोसिस्टम आउटरीच में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, इन संगठनों का केंद्रीकृत दृष्टिकोण कौशल विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत प्रत्याशित लाभों को प्रभावित कर रहा है।

2. इन्हें अलग-थलग करना और साथ ही कई प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण करना देश में उपलब्ध संसाधनों और अवसरों के इष्टतम उपयोग की कुंजी है।

3. 10 मार्च, 2022 को हुई वीसी बैठक में राज्य के प्रधान सचिवों/सचिवों और कौशल विकास के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशकों, एनएसडीसी, क्षेत्र कौशल परिषद, राज्य परीक्षा नियंत्रक, आरडीएसडीई एनएसटीआई और अन्य हितधारकों के साथ, यह सर्वसम्मति से राज्यों और आरडीएसडीई को और अधिक स्वायत्तता और समन्वय के साथ सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रभागों के सदस्यों के साथ राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समितियों (एसएसडीईसी) का गठन करने का निर्णय लिया गया।

4. तदनुसार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों वाली राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समिति (एसएसडीईसी) का गठन किया जा रहा है:

क्र. सं.	समिति सदस्य	पदनाम / भूमिका
1	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सचिव/प्रधान सचिव/एसीएस (कौशल प्रभारी)	अध्यक्ष
2	वीईटी का कार्य देखने वाले राज्य निदेशक	सदस्य
3	एसएसडीएम के कार्यों की देखरेख करने वाले सीईओ/निदेशक	सदस्य
4	क्षेत्रीय निदेशक, आरडीएसडीई	सदस्य और समन्वयक
5.	राज्य परीक्षा नियंत्रक, टीवीईटी/डीवीईटी	सदस्य
6.	राज्य के एनएसटीआई के प्राचार्य/कार्यालय अध्यक्ष	सदस्य
7.	राज्य संलग्नता अधिकारी (एसईओ), एनएसडीसी	सदस्य
8.	जेएसएस का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	निस्बड का प्रतिनिधि	सदस्य

5. **राज्य कौशल विकास और उद्यमशीलता समिति (एसएसडीईसी)** के कार्य और अधिदेश इस प्रकार हैं:

क. <u>प्रवेश:</u>

आईटीआई में लगभग 40% सीटें खाली रहती हैं, क्योंकि प्रवेश कार्यक्रम अन्य परीक्षाओं/परिणामों की घोषणा के साथ-साथ एडवोकेसी की कमी और अपर्याप्त विज्ञापन के साथ तालमेल नहीं रखता है।

i. डीजीटी प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र शुरू होने से पहले प्रवेश और परीक्षा कैलेंडर उपलब्ध कराएगा ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंधित गतिविधियों/अनुसूची की योजना बना सकें।

ii. एसएसडीईसी दसवीं कक्षा उतीर्ण करने वाले छात्रों तक पहुंचने के इरादे से स्कूलों सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा।

iii. एसएसडीईसी यह सुनिश्चित करके अधिकतम रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रयास करेगा कि प्रवेश प्रक्रिया कम से कम 02 और सप्ताह तक खुली रहे, पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यहां तक कि वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए हैं/पोर्टल के माध्यम से पहले से पंजीकृत हैं।

ख. <u>परीक्षा:</u>

यह देखा गया है कि वार्षिक परीक्षाओं/सीबीटी की जटिलता के कारण वार्षिक परीक्षा आयोजित करने और समय पर परिणाम घोषित करने में परिहार्य विलंब हुआ है। वार्षिक परीक्षाओं को सुचारू, निर्बाध तरीके से संचालित करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाना है। डीजीटी, सीबीटी एजेंसी की व्यवस्था करेगा और परीक्षा कार्यक्रम की एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करेगा। यह सीबीटी परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक का भी रखरखाव करेगा।

एसएसडीईसी को निम्नलिखित का अधिकार होगा:

i. डीजीटी द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर वास्तविक समय सारिणी निर्धारित करना।
ii. प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करना।
iii. व्यावहारिक और सीबीटी परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए पारिश्रमिक और भत्ते सहित पर्यवेक्षकों, परीक्षकों, उड़न दस्तों को तैनात करना।
iv. परीक्षा के 2 दिनों के भीतर एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर प्रारंभिक आकलन और व्यावहारिक परीक्षा के परिणाम अपलोड करना।
v. परीक्षा एजेंसी के परामर्श से प्रशिक्षार्थियों के आईटीआई से 25 किमी के क्षेत्र में सीबीटी और व्यावहारिक परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग करना।
vi. स्थानीय स्तर पर परीक्षा और परिणाम के लिए की गई शिकायतों का समाधान करना।
vii. नामांकन के 03 महीने के भीतर प्रोफाइल संबंधी शिकायत का निवारण, जिसके बाद डीजीटी ऐसे मामलों को उठाएगा।

<u>ग. आईटीआई की संबद्धता और संबद्धता समाप्ति:</u>

<u>संबद्धता:</u>

'नए आईटीआई/मौजूदा आईटीआई में नई इकाइयों के लिए संबद्धता, पारदर्शिता और लंबितता से संबंधित चुनौतियों के साथ एक सतत प्रक्रिया है। डीजीटी नए आईटीआई के लिए केंद्रीकृत संबद्धता पोर्टल पर प्रत्यायन और संबद्धता संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ मौजूदा आईटीआई के स्थान के परिवर्तन के लिए भी आवेदन स्वीकार करेगा।

i. एसएसडीईसी को सरकार द्वारा संचालित आईटीआई और डीजीटी दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित ग्रेडिंग वाले मौजूदा निजी आईटीआई में नई इकाइयां जोड़ने/शिफ्टों/अभ्यर्पण या ट्रेडों को बदलनेकी सिफ़ारिश करने/डीएसटी का अनुमोदन

देने का अधिकार होगा। ये सिफारिशें डीजीटी मुख्यालय की संबद्धता समिति द्वारा स्वीकार्य होंगी।

ii. अन्य मामलों जैसे, नए आईटीआई या स्थान परिवर्तन और एससीवीटी को एनसीवीटी में बदलने की सिफारिश के लिए निरीक्षण अनिवार्य होगा। एसएसडीईसी डीजीटी दिशानिर्देशों के अनुसार टीम का समय पर गठन सुनिश्चित करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि साइट पर डेटा एनआईएमआई ऑनलाइन ऐप पर कैप्चर किया गया है। समिति अपनी सिफारिशें एनआईएमआई पोर्टल के माध्यम से डीजीटी मानदंडों के अनुसार तैयार की गई वास्तविक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदन के लिए एससीए को देगी।

iii. एसएसडीईसी डीजीटी मुख्यालय द्वारा जारी समय-सीमा के अनुसार समयबद्ध तरीके से नए संबद्धता अनुरोधों का डेस्कटॉप आकलन सुनिश्चित करेगा।

iv. एसएसडीईसी एससीएटी के तहत अच्छे आईटीआई को एनसीवीटी में बदलने की सिफारिश कर सकता है।

v. एसएसडीईसी बिना आईटीआई वाले जिलों/ब्लॉकों में किसी सरकारी हाई स्कूल के परिसर के भीतर कम से कम एक ट्रेड के साथ आईटीआई स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगा।

vi. एसएसडीईसी को अधिशेष सीटों और बड़ी संख्या में रिक्तियों वाले जिलों/ब्लॉकों में दीर्घावधि व्यावसायिक पाठ्यक्रम खोलने के लिए कौशल अंतराल और विश्लेषण की आवश्यकता का संचालन करने का अधिकार होगा।

संबद्धता समाप्त करना

एसएसडीईसी एलटीएलएस के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा, डीजीटी मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संयुक्त निरीक्षण करेगा और एससीए अनुमोदन के लिए डीजीटी को अपनी सिफारिशें देगा।

घ. स्किल इंडिया प्रतियोगिताएं:

किसी राष्ट्र की कौशल विशेषज्ञता का आकलन करने के लिए विश्व कौशल प्रतियोगिता (डब्ल्यूएससी) की तुलना ओलंपिक से की जाती है। रूस के कज़ान में डब्ल्यूएससी 2019 में, टीम इंडिया ने बहुत से पदक और मैडल जीते थे, भाग लेने वाले 63 देशों में से 13 वें स्थान पर रहा और 56 कौशल और ट्रेडों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 1,350 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। डब्ल्यूएससी, देशों और क्षेत्रों को अपनी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों को बेंचमार्क करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

एसएसडीईसी को निम्नलिखित अधिकार होंगे:

i. भारत कौशल प्रतियोगिताओं (आईएससी)/विश्व कौशल प्रतियोगिता (डब्ल्यूएससी) पर व्यापक प्रचार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर टीमों को जुटाना, एनएसटीएलएस/आईटीआई/जेएसएस/पीएमकेके केंद्रों से कौशल प्रतियोगिताओं के लिए संस्थान/जिला/राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकतम पंजीकरण और प्रतिभागियों/विजेताओं के लिए एक ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करना। जो छात्र इन केंद्रों से नहीं हैं, उन्हें भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
ii. संबंधित राज्य के ब्रांड के रूप में कम से कम एक या दो ट्रेडों की पहचान करना और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने का प्रयास करना ताकि वे बूट कैंप के रूप में कार्य कर सकें।
iii. मानक दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी)/संबंधित क्षेत्र के औद्योगिक समूहों/ट्रेड़ों के बीच समन्वय स्थापित करना, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने और सलाह देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर सभी कौशल क्षेत्रों से उद्योग विशेषज्ञों/पूर्व विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
iv. भारत कौशल/विश्व कौशल प्रतियोगिताओं का निष्पादन एनएसडीसी/एसएसडीएम मार्ग के माध्यम से होगा।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त एसएसडीईसी, निमि पुस्तकों की सामग्री के अनुवाद और सीबीटी परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक से संबंधित गतिविधियों को क्षेत्रीय भाषा में निष्पादित और पर्यवेक्षण करेगा और तिमाही आधार पर डीजीटी को अपनी स्थिति अद्यतन करेगा।

7. समिति राज्य में क्रमशः जेएसएस और निस्बड/आईआईई के तहत चल रही कौशल और उद्यमशीलता गतिविधियों की निगरानी भी करेगी और विभिन्न स्कीमों के लाभों का पक्षपोषण करेगी और इन स्कीमों में तालमेल लाएगी।

8. समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठकें करना अनिवार्य होगा। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर)/स्थिति/कार्यवृत्त प्रत्येक तिमाही के अंत में डीजीटी मुख्यालय के साथ साझा करने होंगे।

9. डीजीटी मुख्यालय के उप महानिदेशक, आरडीएसडीई और डीजीटी मुख्यालय के संबंधित निदेशकों के सहयोग से एसएसडीईसी की गतिविधियों के समग्र समन्वय का पर्यवेक्षण करेंगे।

10. इसे सचिव (एमएस डीई) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह०/-

(बी. के. सिकदर)

निदेशक (एमएसडीई)

प्रतिलिपि :

1. एमएसडीई और सीईओ, एनएसडीसी के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय।
2. वेब-प्रबंधक, एनआईसी, एमएसडीई को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।